रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)-128 REGISTERED NO. D--(DN)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1988 (फाल्गुन 1, 1909)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1988 (PHALGUNA 1, 1909)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1--रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . .	155
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	221
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	*
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	213
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	187
भाग III - खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	113
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	365
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	25
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	—

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	155
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	221
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	213
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	187
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	113
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	365
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	25
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .	—

*Folio No. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी, 1988

सं० 11 प्रेज/88—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्ति को "सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

श्री गजेन्द्र सिंह, (मरणोपरान्त)
ग्राम सिरवाड़ी, पट्टी खालियाग,
बाणगोर, तहसील देव प्रयाग,
टिहरी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश)।

17/18 जुलाई, 1986 की रात को उत्तर प्रदेश के जिला टिहरी गढ़वाल में सिरवाड़ी गांव में भारी वर्षा और बादल फटने से 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। श्री गजेन्द्र सिंह ने, पानी की तेज धारा में बहते हुए 23 व्यक्तियों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए तथा कुछ और व्यक्तियों की जान बचाने के प्रयास में, उन्हें स्वयं अपना जीवन गंवाना पड़ा।

श्री गजेन्द्र सिंह ने 23 व्यक्तियों की प्राण रक्षा में असाधारण एवं अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय दिया और अनेक अन्य व्यक्तियों को मौत के चंगुल से बचाने के प्रयास में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिये।

सं० 12 प्रेज/88—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "उत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

1. श्री मलकियत सिंह, (मरणोपरान्त)
ग्राम एवं डाकघर रुड़की खास,
तहसील गढ़ शंकर,
जिला होशियारपुर (पंजाब)।

16 फरवरी, 1987 को, टैगोर मॉडल स्कूल, कोठी रोड, नवाँशहर के साथ सटे हुए मकान का एक हिस्सा गिर गया और उसका मलबा खुले अहाते में बैठे विद्यार्थियों के ऊपर आ गिरा। श्री मलकियत सिंह, जो उस समय एक कक्षा में पढ़ा रहे थे, तुरन्त हरकत में आये और इससे पहले कि उस पत्थर की इमारत का भारी टुकड़ा उन पर गिरता, जिसने घटनास्थल पर ही उनकी जान ले ली, उन्होंने 9 बच्चों को बचा लिया।

श्री मलकियत सिंह ने अपने अमूल्य जीवन को दाव पर लगाकर 9 बच्चों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

2. श्री प्रेम सिंह,
ग्राम मनकोली,
डाकघर पट्टी, अलगाड़ा,
तहसील डीडी हाट,
जिला पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश)।

7 जून, 1986 को, सात बालिकायें, जो जंगल से घास काटकर वापस घर लौट रही थी, रामगंगा टैंक में पानी पीने और नहाने के लिये गई। वे गहरे पानी में फिसल गई और अपनी-अपनी जान बचाने के लिये संघर्ष करने लगीं क्योंकि उन में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। वे सहायता के लिए चिल्लाई। उनकी चीखें एक 15 वर्षीय बालक, श्री प्रेम सिंह ने सुनीं। वह तुरन्त टैंक की ओर दौड़ा तथा उन सभी बालिकाओं को डूबने से बचा लिया। वह उन्हें पानी से बाहर निकाल लाया।

श्री प्रेम सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सात असहाय बालिकाओं की प्राण रक्षा में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया।

3. श्री अजीत सिंह,
1057 फील्ड वर्कशॉप (जी० आर० ई० एफ०),
मार्फत 56 ए० पी० ओ०।

4. श्री अमर सिंह,
1057 फील्ड वर्कशॉप (जी० आर० ई० एफ०)
मार्फत 56 ए० पी० ओ०।

5. श्री स्वर्ण सिंह,
1057 फील्ड वर्कशॉप (जी० आर० ई० एफ०),
मार्फत 56 ए० पी० ओ०।

6. श्री प्रीतम सिंह,
1057 फील्ड वर्कशॉप (जी० आर० ई० एफ०),
मार्फत 56 ए० पी० ओ०।

17 जुलाई, 1985 को, अखनूर में, लगातार भारी वर्षा के कारण एक विशाल दुमंजिला भवन गिर गया और 70 मजदूर तथा उनके परिवार के सदस्य उसके मलबे में फंस गये। 1057 फील्ड वर्कशाप (जी० आर० ई० एफ०) के

कर्मचारी श्री अजीत सिंह, श्री अमर सिंह, श्री स्वर्ण सिंह, और श्री प्रीतम सिंह को उन अभागे दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को बचाने के लिये भेजा गया।

गिरे हुए भवन में घुसना केवल कठिन ही नहीं अपितु आत्मघाती भी था। फिर भी, उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह नहीं की और दीवार में बनाये गये एक छोटे सुराख से क्षतिग्रस्त भवन में घुस गये। वे मलबे में से महिलाओं और बच्चों सहित अनेक व्यक्तियों को सफलतापूर्वक जीवित बाहर निकाल लाये। उन्होंने अनेक शवों को भी ढूंढ निकाला।

श्री अजीत सिंह, श्री अमर सिंह, श्री स्वर्ण सिंह और श्री प्रीतम सिंह ने बचाव कार्य के दौरान अपनी जान को आये गम्भीर खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए विपरीत परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

सं० 13-प्रेज/88—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को "जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

1. श्री पुसकल्ला वेंकट लक्ष्मी नारायण स्वामी,
पोर्टलैंड पार्क,
वेंकटेश्वर मन्दिर के निकट,
विशाखापत्तनम।

16 अक्तूबर, 1986 को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट की एक नाव, जिसकी क्षमता 15 व्यक्तियों को ले जाने की थी, परन्तु जो लगभग 45 व्यक्तियों को 400 फुट लम्बे और लगभग 35 से 40 फुट गहरे समुद्र प्रवेश चैनल के पार, यारदा हिल से डी० सी० जेटी ले जा रही थी, संभवतः इस अधिक भार के कारण उलट गई। इस दुर्घटना को देखकर विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के कुछ कर्मचारी डूबते हुए यात्रियों को बचाने के लिये आये। उनमें एक श्री पुसकल्ला वेंकट लक्ष्मी नारायण स्वामी भी थे जिन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए समुद्र में छलांग लगा दी तथा पांच महिलाओं और तीन बच्चों की जान बचा ली। इस दुर्घटना में सात अन्य यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

श्री पुसकल्ला वेंकट लक्ष्मी नारायण स्वामी ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए आठ व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

2. श्री विश्वनाद राजु इन्दुकुरी,
तचिली ग्राम,
अत्रेयपुरम मण्डल,
पूर्वी गोदावरी जिला,
आन्ध्र प्रदेश।

अगस्त, 1986 में गोदावरी नदी में आई अभूतपूर्व बाढ़ से पूर्वी गोदावरी जिले में बोब्बरलंका स्थित नहर के दहाने में दरार पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। जब कर्मचारी और तकनीकी विशेषज्ञ दरार पड़ने को रोकने का भरसक प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान श्री इन्दुकुरी ने बचाव के उपाय करने के लिये आदमियों और साज-सामान को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी पीठ पर रस्सा बांधकर 30 फुट गहरे बाढ़ के पानी में गोते लगाते हुए 16-8-1986 से 19-8-86 तक लगातार तीन दिनों तक अपने स्वयंसेवकों की मदद से सैंकड़ों रेत की बोरियां और चट्टानें उसके तल में जमा कीं और नहर के दहाने को दरार के खतरे से बचा लिया और इस प्रकार हजारों व्यक्तियों और पशुओं को डूबने से और बहुत सारी कृषि भूमि को कटाव से बचा लिया।

श्री विश्वनाद राजु इन्दुकुरी ने अपनी निजी सुरक्षा को उत्पन्न गंभीर खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए इस प्रकार के विशाल बचाव कार्य को करने में अनुकरणीय साहस एवं सतर्कता का परिचय दिया।

3. श्री दादुभाई सोमभाई कातरा,
डाकघर शामलाजी, भिलोदा टी० के०,
जिला साबरकांठा, गुजरात।

4. श्री कालुभाई कामगभाई कातरा,
डाकघर सामलाजी, भिलोदा टी० के०,
जिला साबरकांठा, गुजरात।

23 फरवरी, 1986 को स्कूली बालिकाओं का एक ग्रुप अपने शिक्षकों के साथ माशबू नदी पर बने माशबू बांध पर पिकनिक मनाने गया। जब शिक्षक और कुछ बालिकायें बांध के पानी में एक देसी नाव पर नौकायन के लिये गईं, तभी अचानक नाव का सन्तुलन बिगड़ गया और वह उलट गई। उस दुर्घटनाग्रस्त नौका के सभी सवार पानी में डूबने लगे और अपनी-अपनी जान बचाने के लिये संघर्ष करने लगे।

श्री दादुभाई सोमभाई कातरा और श्री कालुभाई कामगभाई कातरा ने, जो उस समय नजदीक ही थे, इस दुर्घटना को देखा और उन अभागों को बचाने के लिये तुरन्त पानी में कूद पड़े। वे गहरे पानी में से 3 बालिकाओं को सफलतापूर्वक बचा लाये। दुर्भाग्य से 15 अन्य पानी में डूब गई। हालांकि, नदी के किनारे पर खड़े अनेक ग्रामवासियों ने इस दुर्घटना को देखा था, लेकिन सिवाय इन दोनों बहादुर लड़कों के किसी ने भी दुर्घटना पीड़ितों को बचाने का साहस नहीं दिखाया।

श्री दादुभाई सोमभाई कातरा और श्री कालुभाई कामगभाई कातरा ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह किये बगैर तीन बालिकाओं का जीवन बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

5. श्रीमती कस्तारो देवी,
पत्नी स्व० श्री बन्सी लाल,
ग्राम चोरी,
डाकघर सुजानपुर,
उप तहसील सुजानपुर,
जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

22 अक्तूबर, 1986 की रात को चार सशस्त्र चोर श्रीमती करतारो देवी के घर में घुसे और घर में मौजूद महिलाओं से अपने अपने आभूषण आदि देने को कहा। जब महिलाओं ने इन्कार किया, तो एक चोर ने वहां मौजूद श्रीमती जीवना देवी पर गोली चला दी, जिनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसी बीच, श्रीमती करतारो देवी ने एक चोर को कमर से पकड़ लिया। उसके साथियों ने उसको छुड़ाने के प्रयास में श्रीमती करतारो देवी पर बार-बार गोलियां चलाई। परिणामस्वरूप, श्रीमती करतारो देवी, और वह चोर, जिसे उन्होंने पकड़ रखा था, दोनों गोलियों से जख्मी हो गये। चोर की तो वहीं घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई जबकि ग्रामवासी जो गोली चलने की आवाजों और महिलाओं की चीखें सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गये थे, श्रीमती करतारो देवी को अस्पताल ले गये।

श्रीमती करतारो देवी ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए चोरों द्वारा महिलाओं के आभूषण आदि लूटने के प्रयास को विफल करने तथा उन महिलाओं की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया।

6. श्री बावनी सोनू कुमाटेकर
काफ्नी मन्दिर के पीछे कोंदीबाग
धारवाड़ 561303-कर्नाटक।

11 मई 1984 को एक महिला जो काली नदी पर बने कोंदीबाग पुल से गुजर रही थी नदी में गिर पड़ी। श्री बावनी सोनू कुमाटेकर ने जो नजदीक ही मछलियाँ पकड़ रहे थे, इस दुर्घटना को देखा उन्होंने तुरन्त नदी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया।

श्री बावनी सोनू कुमाटेकर ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उस महिला की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

7. श्री रेणुकास्वमी वीरय्या कामनाद,
सिद्दारुदे आश्रम, पुरानी हुबली,
जिला धारवाड़, कर्नाटक।

30 सितम्बर, 1985 को, एक महिला अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या करने के इरादे से एक बड़े टैंक में कूद गई। एक लड़का, जो संयोग से वहां मौजूद था, उसके इस दुर्घटना की जानकारी सिद्दारूदे मठ के अधिकारियों को दी लेकिन सिद्दारुदे स्कूल के विद्यार्थी श्री रेणुकास्वामी वीरय्या कामनाद को छोड़कर कोई भी उस महिला और उसके बच्चों को बचाने के लिये आगे नहीं आया। वह तुरन्त उस बड़े टैंक में कूद पड़ा और महिला व उसके बच्चों को पानी से निकाल लाया। वह महिला तो बच गई लेकिन उसके बच्चों की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

श्री रेणुकास्वामी वीरय्या कामनाद ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए महिला को बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

8. श्री नारायण कर्वी,
मकान नं० 22, कस्बा बांगेरे,
मंगलूर, जिला दक्षिण कन्नड़,
कर्नाटक।

1 सितम्बर, 1983 को, तूफानी मौसम के कारण मछली पकड़ने वाली एक नौका, जिस पर दो मछुआरे सवार थे, अरब सागर में उलट गई और दोनों मछुआरे उस तूफान-ग्रस्त समुद्र में अपने-अपने जीवन के लिये संघर्ष करने लगे। समुद्र तट पर जमा लोगों ने यह दृश्य देखा और उन्होंने शोर मचाया। श्री नारायण कर्वी भी उस समय वहां मौजूद थे। वे तुरन्त समुद्र में कूद पड़े और 3 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक तैरकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तट पर ले आये।

श्री नारायण कर्वी ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए दो व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

9. मास्टर सतीश दयावप्पा नायक,
मार्फत श्री दयावप्पा लिगप्प नायक,
सोमनहल्ली (जिपागी) नारी बेल सिरसी,
जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक।

1 नवम्बर, 1985 को मास्टर सतीश दयावप्पा नायक पानी गर्म करने के लिये गुसलखाने में चूल्हा जला रहा था जबकि उसके माता पिता काम पर बाहर गये हुए थे। अचानक, गुसलखाने की घास फूस की छत ने आग पकड़ ली जो शीघ्र ही पूरी झोंपड़ी में फैल गई। मास्टर सतीश ने महसूस किया कि पूरी की पूरी झोंपड़ी आग की लपटों में आ चुकी है और उसका 4 वर्षीय भाई और 2 वर्षीय बहन अन्दर सो रहे हैं। वह तुरन्त सहायता के लिये चिल्लाया लेकिन वहां आस-पास कोई भी नहीं था, जो उसकी मदद करता। अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मास्टर सतीश दयावप्पा नायक, पहले अपने भाई को को और फिर अपनी बहन को बचाने के लिए दो बार जलती हुई झोंपड़ी के अन्दर गया।

मास्टर सतीश दयावप्पा नायक ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह किए बगैर दो छोटे बच्चों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

10. श्री देवीन्द्र पुत्त गौड़ा,
कालासी, डाकघर मातिशवाला,
येल्लापुर तालुक,
जिला उत्तर कनारा, कर्नाटक।

4 फरवरी, 1986 को आराबेल गांव की पांच महिलायें जिस टेप्पा (बेड़ा) में बेदती नदी पार कर रही थीं वह नदी के बीच में आकर उलट गया। सभी महिलायें, जो तैरना नहीं जानती थीं, नदी में डूबने लगीं। श्री देवीन्द्र पुत्त गौड़ा ने, जो संयोग से वहां मौजूद थे, महिलाओं की दुर्दशा

को देखा और दूसरे टेम्पो में बैठकर तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़े। वे नदी में कूद पड़े और उनमें से चार को पानी से बाहर निकाल आये। पांचवीं महिला को बचाया नहीं जा सका और श्री गौड़ा ने उसके शव को पानी से बाहर निकाला।

श्री देवीन्द्र पुत्त गौड़ा ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए चार अभागी महिलाओं की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

11. कुमारी पी० शीबा जोसेफ,
पोलतोनियाल,
डाकघर पाशुक्कदावु,
जिला कोजीकोड,
केरल।

21 जून, 1986 को एक पच्चीस वर्षीय महिला और उसका छः वर्षीय पुत्र कादुमतारा नदी के किनारे नहा रहे थे। लड़का फिसल कर गहरी नदी में जा गिरा और नदी की तेज धारा में बहने लगा। वह महिला सहायता के लिये चिल्लाई। उसको सुनकर, कुमारी शीबा जोसेफ, जो कि नजदीक ही नहा रही थी, घटना स्थल की ओर दौड़ी, वह तुरन्त नदी में कूद पड़ी और डूबते हुए बालक की ओर तैरने लगी। उसने अचेत बालक को पकड़ा और लगभग 25 मीटर तैरने के बाद उसे किनारे पर ले आई।

कुमारी शीबा जोसेफ ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए बच्चे की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

12. श्री सी० चन्द्रशेखरन,
मुख्याध्यापक,
राजकीय एल० पी० स्कूल,
वेल्लाइल,
जिला कोजीकोड,
केरल।

10 अक्तूबर, 1985 को गवर्नमेंट एल० पी० स्कूल, वेल्लाइल, कोजीकोड की तीसरी कक्षा की एक नौ वर्षीया छात्रा पानी निकालते हुए अचानक कुएं में गिर पड़ी। उस स्कूल के मुख्याध्यापक, श्री सी० चन्द्रशेखरन इस घटना के बारे में सुनने पर घटनास्थल की ओर दौड़े। हालांकि श्री चन्द्रशेखरन दिल के पुराने मरीज थे फिर भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं में कूद पड़े और उस बालिका को डूबने से बचा लिया।

श्री सी० चन्द्रशेखरन ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उस छोटी बालिका की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

13. श्री टी० रामकृष्णन,
तुरुतिविल हाउस,
तिरुवल्लूर, बादगारा तालुक,
जिला कोजीकोड,
केरल।

10 अगस्त, 1986 को 16 यात्रियों को ले जा रही एक देसी नाव वेल्लुक्करी नदी में तट से लगभग 15 मीटर की दूरी पर मूसलाधार वर्षा और तेज हवा के कारण उलट गई। सभी यात्री अपनी अपनी जान बचाने के लिये संघर्ष कर रहे थे, और सहायता के लिये चिल्ला रहे थे। उनके शोर को सुनकर श्री रामकृष्णन जो संयोगवश नदी के तट पर मौजूद थे, घटनास्थल की ओर दौड़े। वे वहां खड़ी नाव में बैठ गये और अपनी धोती को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये। उन्होंने धोती का एक छोर नाव से और दूसरा टेलीफोन के खम्बे के साथ साथ बांध दिया और अपनी नाव को उस तरफ ले गये जहां नाव उलटी थी। उन्होंने डूब रहे व्यक्तियों को बचाव नौका में चढ़ाया और उसकी प्राथमिक चिकित्सा की। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की नाव में मृत्यु हो गई। जब नौका चलने को तैयार हुई, तो किसी ने बताया कि एक महिला गुम है। श्री राम कृष्णन, तुरन्त नदी में कूद पड़े और उस महिला के शव को बाहर निकाल लाये।

श्री टी० रामकृष्णन ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए 14 व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

14. कुमारी नेल्लीकुझल परमेश्वरन् बिन्दु,
नेल्लीकुझल हाउस, पालकुजा,
मुवत्तुपुजा तालुक, जिला एर्नाकुलम,
केरल।

28 जून, 1985 को गवर्नमेंट माडल हाई स्कूल, पालकुजा की नौ वर्षीय छात्रा अन्य विद्यार्थियों के साथ अपना टिफिन बॉक्स धोने पानी के एक ऐसे टैंक पर गई जिसका पानी पानी बाहर निकल रहा था। अपना टिफिन बाक्स धोते हुए वह अचानक फिसल कर टैंक में गिर गई जहां पानी की गहराई 6 मीटर थी और वह उसमें डूबने लगी। दूसरे बच्चों का शोर सुनकर स्कूल की ही एक छात्रा कुमारी बिन्दु घटनास्थल की ओर दौड़ी। वह तुरन्त टैंक में कूद पड़ी और उस बालिका को गहरे पानी से बाहर निकाल कर सतह पर ले आई। उन दोनों बालिकाओं को कुछ अध्यापकों ने, जो उस समय तक घटनास्थल पर पहुंच गये थे, पानी से बाहर निकाल लिया।

कुमारी नेल्लीकुझल परमेश्वरन बिन्दु ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह किये बगैर डूबती हुई बालिका को बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

15. श्री राजेन्द्र शिवाजी चावरे,
डाकघर एवं तालुक माधा,
जिला शोलापुर,
महाराष्ट्र।

9 अक्तूबर, 1984 को छः महिलाएं एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर मानकर्णा नदी पर बने पुल को पार कर रही थीं। बाढ़ के कारण वह पुल जलमग्न हो गया था और पानी पुल

से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था। पानी की तेज धारा का सामना न कर पाने के कारण सभी महिलायें फिसल गईं और बाढ़ग्रस्त नदी में गिर पड़ीं। श्री राजेन्द्र शिवाजी चावड़े ने, जो संयोग से वहां थे, इस घटना को देखा और डूबती हुई महिलाओं को बचाने के लिये नदी में तुरन्त छलांग लगा दी। अपने भरसक प्रयासों से वे तीन महिलाओं का जीवन बचाने में सफल रहे।

श्री राजेन्द्र शिवाजी चावड़े ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न रते हुए डूबती महिलाओं की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

16. श्री रावजी भीकाजी केलुस्कर,
स्थान व डाकघर तारकर्ली,
मालवान तालुक
जिला रत्नगिरि,
महाराष्ट्र।

24 अगस्त, 1984 को पांच व्यक्तियों को ले जाती हुई एक नौका तारकर्ली गांव में एक संकरी खाड़ी में उलट गई और डूबने लगी। सभी यात्री अपनी अपनी जान बचाने के लिये संघर्ष करने लगे और सहायता के लिये चिल्लाये। उनकी पुकार सुनकर, श्री रावजी भीकाजो केलुस्कर, जो नजदीक ही मछलियां पकड़ रहे थे, अपनी नौका दुर्घटनास्थल की तरफ ले गये और डूबते हुए व्यक्तियों को बचाने के लिये पानी में छलांग लगा दी। वे बारी बारी से सभी व्यक्तियों को बचाने में सफल रहे।

श्री राव जी भीकाजी केलुस्कर ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए डूबते हुए व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया

17. कुमारी सोमवती,
ग्राम जाम यच्छार,
जिला शहडोल,
मध्य प्रदेश।

4 अप्रैल, 1987 को, ग्राम जाम कच्छार में श्री सोनू के मकान में आग लग गई और आठ महीने के बच्चे समेत कुछ व्यक्ति अन्दर फंस गये। आग तेजी से फैल गई। श्री सोनू जो जलते हुए मकान के बाहर खड़े थे और कुछ अन्य व्यक्ति जलते हुए मकान को केवल बाहर से देखते रहे लेकिन किसी को भी जलते हुए मकान के भीतर घुसने का साहस नहीं हुआ। श्री सोनू की 16 वर्षीया पुत्री कुमारी सोमवती आग की लपटों की परवाह किये बिना, फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिये जलते हुए मकान में घुस गई। वह जलते हुए मकान में से आठ महीने के अपने भाई को सुरक्षित बाहर ले आई। हालांकि इस प्रयास में उसके मुंह, हाथों और टांगों पर जलने के गम्भीर घाव हो गये थे लेकिन वह अन्दर फंसे अन्य व्यक्तियों को बचाने के लिये एक बार फिर जलते हुए मकान में घुसी लेकिन वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसे अचेतावस्था में घटनास्थल से हटाया गया।

कुमारी सोमवती ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए बच्चे की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

18. श्री छानू,
ग्राम सिमगा, तहसील सिमगा,
जिला रायपुर।
मध्य प्रदेश।

25 जुलाई, 1986 को एक ट्रक, जिसमें चार व्यक्ति बैठे हुए थे, पुल पार करते हुए चढ़ी हुई शिवनाथ नदी गिर पड़ा। इस घटना को अनेक व्यक्तियों ने देखा और वे चिल्लाने लगे। श्री छानू ने जो मछलियाँ पकड़ने गये हुए थे, इस शोर को सुना और वे घटनास्थल की ओर दौड़े। वह तुरन्त नदी में कूद पड़े और ट्रक के चालक और एक अन्य व्यक्ति को बचा लिया।

श्री छानू ने अजनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए दो व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

19. श्री मुन्नू सिंह,
मार्फत जिला कमांडेंट,
होम गार्ड, सिरोह,
मध्य प्रदेश।

20. श्री सुखराम गोंड,
मार्फत जिला कमांडेंट,
होम गार्ड, सिहोर,
मध्य प्रदेश।

28 मई, 1986 की रात को, श्री मुन्नू सिंह और श्री सुखराम गोंड, होम गार्ड, पार्वती नदी के किनारे पर जल आपूर्ति संयंत्र की सुरक्षा के लिये गश्त ड्यूटी पर थे। उन्होंने निकटवर्ती गांव, कहानी से आग की लपटें उठती देखी। वे तुरन्त उस गांव की ओर दौड़े कि पूरा गांव जल रहा है। चूंकि वहां आग बुझाने के लिये पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिये ग्रामवासी जल्दबाजी में अपने अपने परिवार और सामान आदि को बचाने का प्रयास कर रहे थे।

दोनों होम गार्ड पहले एक जलते हुए शैड में घुसे जहां लगभग 150 मवेशी बन्धे हुए थे। उन्होंने उन सब को खोल दिया थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने जल कर नष्ट हुए एक मकान से बच्चों को बिलखता सुना और उन्होंने उठती लपटों के सामने से एक 11 वर्षीय बालक, एक 3 वर्षीय बालिका और एक शिशु को बचाया। उसी मकान में उन्होंने एक 70 वर्षीय वृद्ध को एक बक्से के साथ बाहर निकलने का असफल प्रयास करते हुए देखा और उन्होंने उसे भी बचा लिया। इस प्रक्रिया में दोनों होम गार्डों को जलने के घाव हो गये और अन्य चोटें आई।

श्री मुन्नू सिंह और श्री सुखराम गोंड ने अनेक ग्रामीणों और मवेशियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

21. कुमारी ललिता पण्डा,
मार्फत श्री मनोरंजन पण्डा,
ड्राइवर, ओ० एस० आर० टी० सी०,
पत्रपाड़ा,
डाकघर/जिला सुन्दरगढ़,
उड़ीसा।

18 नवम्बर, 1985 को, लगभग 60 सवारियों को ले जा रही ओ० एस० आर० टी० सी० की एक बस प्रताप नगर नहर के किनारे रुकी और ड्राइवर सहित कुछ यात्री नित्य कर्म से फारिग होने के लिये नीचे उतरे जबकि कुछ यात्री बस में ही रहे। तेज गति से आता हुआ एक ट्रक बस के पिछले हिस्से से टकराया और इस टक्कर की वजह से बस नहर की ओर लुढ़कने लगी। बस में ड्राइवर के केबिन के निकट बैठी एक यात्री कुमारी ललिता पण्डा ने स्थिति की गम्भीरता को भांप लिया और बिना समय नष्ट किये अपनी पूरी ताकत से ब्रेक लगायी, जिसके फलस्वरूप अगला दायां पहिया नहर के तटबन्ध के रिज पर रुक गया और यात्री बच गये।

कुमारी ललिता पण्डा ने बस के अन्दर बैठे 26 यात्रियों की जान बचाने में असाधारण तत्परता, स्फूर्ति और श्रेष्ठ सूझ बूझ का परिचय दिया।

22. श्री बाबू लाल रैगर,
मार्फत श्री बान्धू लाल रैगर,
ग्राम जावन्ती कला,
जिला बून्दी,
राजस्थान।

23. मास्टर धन्ना लाल तेली,
पुत्र श्री छोटू लाल तेली,
ग्राम जावन्ती कला,
जिला बून्दी,
राजस्थान।

24 जनवरी, 1986 को, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जावन्ती कला का एक छः वर्षीय छात्र अचानक 20 फुट गहरे एक कुंए में गिर गया, जिसमें भूमि से पानी का स्तर 4 फुट था। इस घटना को सुनकर, उसी स्कूल के दो छात्र, श्री बाबूलाल रैगर और श्री धन्नालाल तेली एकदम घटनास्थल की ओर दौड़े और अपनी जान पर खेल कर डूबते हुए लड़के को बचाने के लिए तत्काल कुंए में कूद पड़े। ये दोनों बहादुर युवक एक अध्यापक, श्री अशोक कुमार शर्मा की सहायता से, जिन्होंने कुंए में झुक कर बच्चे को खींचा था, उसे बचाने में सफल हो गए।

श्री बाबूलाल रैगर और धन्नालाल तेली ने अपनी जान को आए भयंकर खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए, लड़के की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया।

24. श्री शक्ति सिंह सिसोदिया,
2ख-8, जवाहर नगर,
जयपुर-302004, राजस्थान।

ग्राम हीरापुर, जिला जयपुर में दिनांक 12 अप्रैल 1987 को जब एक स्कूल का उद्घाटन समारोह चल रहा था, 150 मीटर की दूरी पर एक निकटवर्ती ग्राम में कुछ झोंपड़ियों को अचानक आग लग गई। जलती हुई एक झोंपड़ी के अन्दर 4½ वर्ष और 1½ वर्ष के दो बच्चे फंस गए।

श्री शक्ति सिंह सिसोदिया, नायब तहसीलदार तत्काल घटना स्थल की तरफ दौड़े। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने जलती हुई झोंपड़ी में जाकर दोनों बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया। उन्होंने नजदीक के एक कुंए से "चड़स" (पानी उठाने वाला यंत्र) में पानी खींचने के परम्परागत तरीके का प्रयोग करते हुए आग बुझाने में भी सहायता की।

श्री शक्ति सिंह सिसोदिया ने अपनी जान को आए खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए, दो बच्चों की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया।

25. श्री चांद, (मरणोपरान्त)
ग्राम नांगला,
आर्डर-माजरा,
सासीपुर, तहसील सरधाना,
जिला मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

श्री चांद अपने रिश्तेदारों और अन्य साथियों के साथ दिनांक 27 नवम्बर, 1985 को गंगा नहर में स्नान करने के करने के लिए गए। जब वे नहर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके दो रिश्तेदार नहर में डूब रहे थे। वे पुनः तत्काल नहर में कूद पड़े और डूबते हुए व्यक्तियों को किनारे तक ले आए किन्तु इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश वे अपनी जान खो बैठे।

श्री चांद ने दो व्यक्तियों की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया और ऐसा करते हुए अपनी जान गंवा दी।

26. श्री जीवन सोनकर,
मोहल्ला गोरा बाजार,
डाकखाना पोरनगर,
जिला गाजीपुर,
उत्तर प्रदेश।

14 जनवरी, 1985 को, मकर संक्रान्ति के अवसर पर लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। एक 16 वर्षीय लड़की तेज धारा में बह गई और उसकी 14 वर्षीय बहन, जिसने उसे बचाने की कोशिश की, वह भी बह गई। दोनों लड़कियां नदी में डूब रही थीं। दोनों लड़कियों की दुर्दशा देख कर, उनके पिता भी उन्हें बचाने की कोशिश में नदी में कूद पड़े किन्तु नदी के तेज बहाव के कारण वह भी पानी में बह गए। घाट पर हुई चीख-पुकार को सुनकर श्री जीवन सोनकर घटना-स्थल की तरफ दौड़े। वे एकदम नदी में कूद पड़े और उन्होंने सभी तीन व्यक्तियों को डूबने से बचा लिया।

श्री जीवन सोनकर ने अपनी जान को होने वाले खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए तीन व्यक्तियों की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया ।

27. श्री अशोक कुमार (मरणोपरान्त)
ग्राम अकोला,
थाना मालपुरा,
जिला आगरा,
उत्तर प्रदेश ।

14 अक्तूबर, 1986 को अकोला ग्राम के एक निवासी ने एक बिजली के उस खम्बे को छू लिया जिसमें बिजली चल रही थी जिससे उसे बिजली का तेज झटका लगा और परिणामस्वरूप वह खम्बे से चिपक गया । उसकी चीखें सुनकर, श्री अशोक कुमार दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे और उसकी जान बचाने की कोशिश की । श्री अशोक कुमार उस निस्सहाय व्यक्ति की जान को बचाने की अपनी कोशिश में सफल तो हो गए किन्तु ऐसा करते हुए उनकी अपनी जान चली गई ।

श्री अशोक कुमार ने एक व्यक्ति की जान बचाने में अदम्य साहस तथा तत्परता दिखाई और इस प्रक्रिया में अपनी जान की बलि चढ़ा दी ।

28. श्री आशीष कुमार दत्ता (मरणोपरान्त)
मीर बाजार पीरी लेन,
मिदनापुर,
पश्चिम बंगाल ।

7 अक्तूबर, 1986 को एक 60 वर्षीय बूढ़ी महिला मीरबाजार पीरी लेन में एक बिजली की गर्म तार की चपेट में आ गई और उसे बिजली का भारी झटका लगा । निस्सहाय महिला की दुर्दशा देखकर, श्री आशीष कुमार दत्ता उसकी सहायता के लिए दौड़े और उसके शरीर से बिजली की गर्म तार को हटाकर उसकी जान बचाई । किन्तु, इस प्रक्रिया में, श्री दत्ता को बिजली के प्रघात से चोटें आईं और वे बेहोश हो गए । उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बिजली प्रघात की चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री आशीष कुमार दत्ता ने बूढ़ी महिला की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता दिखाई और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी जान की बलि चढ़ा दी ।

29. नम्बर 4450899,
नायक कौर सिंह,
10 सिख लाइट इन्फैन्टरी,
मार्फत 99 ए० पी० ओ० ।

नायक कौर सिंह दिनांक 23 जुलाई, 1985 को, जब बैरक की तरफ वापिस लौट रहे थे, उन्होंने एक सिविल ट्रक को मैल नाले में डूबे हुए देखा जिसकी छत पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था । वे दौड़कर घटना स्थल पहुंचे और नाले में कूद पड़े । वे तैर कर ट्रक तक गए और उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर ले लिया और एक रस्सी की सहायता से, जिसे फायर ब्रिगेड के कार्मिकों ने पहले ही बांध दिया था, वापिस किनारे की तरफ तैरते हुए आ रहे थे । फिर बीच में ही वे दोनों पानी में गिर गए; फिर भी नायक कौर सिंह ने अपनी पीठ पर पड़े व्यक्ति को पकड़े रखा और उसे सुरक्षित किनारे तक ले आए ।

श्री कौर सिंह ने अपनी जान को आए खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए एक व्यक्ति की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया ।

30. नम्बर 2570391,
लान्स नायक अलगू नटराजन्,
18 मद्रास (मैसूर),
मार्फत 56 ए० पी० ओ०

4 मई, 1985 को, कनकारिया झील, जो अपने जहरीले पानी के कारण एक आत्मघाती झील के नाम से जानी जाती है, के क्षेत्र की गश्त करते समय, लान्स नायक अलगू नटराजन् ने एक महिला को इसमें डूबते हुए देखा । उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रोकी और एकदम घटनास्थल पहुंचे और अपने बूटों तथा वेल्ट समेत झील में कूद पड़े और महिला को बचा लिया ।

लान्स नायक अलगू नटराजन् ने अपनी जान को होने वाले खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए महिला की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया ।

31. नम्बर 1434232,
सी० एच० एम० नानक चन्द,
इंजीनियर्स,
विशेष प्रशिक्षण बटालियन (डी),
बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप और केन्द्र,
रुड़की ।

7 फरवरी, 1985 को जनकपुरी, सहारनपुर के निवासी डा० अरविन्द कुमार गुप्ता गंगा नहर पर बने एक रेलवे पुल को पार करते समय अचानक नहर में गिर गए और तेज धारा में बहने लगे । इसके बारे में सुनकर सी० एच० एम० नानक चन्द, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर वाटरमैनशिप प्रशिक्षण दे रहे थे, नायक राम कृपाल सिंह द्वारा चलाई जा रही एक सेफ्टी बोट के जरिए घटना स्थल पर पहुंचे । घटना स्थल पर पहुंचने पर वे बर्फ जैसे ठण्डे पानी में कूद पड़े और डूबते व्यक्ति की तरफ तैरने लगे । उन्होंने डाक्टर को पकड़ लिया, जो उस समय तक बेहोश हो गए थे और नायक राम कृपाल सिंह की सहायता से उसे नाव में ले आए ।

सी० एच० एम० नानक चन्द ने अपनी जान को आए खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया ।

32. नम्बर 2678127
ग्रेनेडियर बनवारीलाल,
3, ग्रेनेडियर्स,
मार्फत 56 ए० पी० ओ०

26 फरवरी, 1986 को मुठियानवाला गांव में एक मकान में आग लग गई और कई व्यक्ति जलते हुए मकान के भीतर फंस गए। आग को देखकर, ग्रेनेडियर बनवारीलाल, जो उक्त गांव के निकट आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटी पर थे, घटना-स्थल की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि जलते हुए मकान में फंसे व्यक्ति चिल्ला रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रेनेडियर बनवारीलाल ने जलते हुए मकान में बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश किया और एक अशक्त महिला और एक छोटे बच्चे को बचा लिया। उन्होंने कई मवेशियों को भी बचाया। उसके बाद वह जलती हुई छत पर चढ़ गए और पानी की बौछार करके आग को बुझा दिया।

ग्रेनेडियर बनवारीलाल ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए दो व्यक्तियों और कई मवेशियों को बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

33. नम्बर 2864024 वाई
राइफलमैन बलदेव सिंह,
11 राजराइफल्स
मार्फत 56 ए० पी० ओ०

34. नम्बर 2880620 पी
राइफल मैन बृजपाल सिंह,
11 राज राइफल्स
मार्फत 56 ए० पी० ओ०

28 मई, 1985 को, केसरी सिंहपुरा में प्रशिक्षण शिविर से लौटते समय, राइफलमैन बलदेव सिंह और बृजपाल सिंह और उनके साथियों ने निकट के नगर में आग लगी देखी। वे अपने साथियों के साथ तुरन्त घटना-स्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने एक दुकान एवं मिल को जलते हुए देखा जिसमें मिल का मालिक और उसके परिवार के सदस्य फंस गए थे। प्रचण्ड आग से भयभीत न होकर दोनों राईफलमैनों ने जलती हुई मिल में प्रवेश किया और उसमें फंसे सभी व्यक्तियों को बचा लिया। इस प्रक्रिया में इन बहादुर नौजवानों को जलने के घाव हो गए।

राइफलमैन बलदेव सिंह और , बृजपाल सिंह ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए उन असहाय लोगों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

35. श्री सोनम
110, रोड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
(जी० आर० ई० एफ०), कोकसार।

27 नवम्बर, 1986 को रोड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (जी० आर० ई० एफ०) को मढ़ी स्थित अपने डिटैचमेंट से एक बेतार संदेश प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया कि 13 कार्मिक 26 नवम्बर 1986 से लापता हैं। 13,500 फुट की ऊंचाई पर इन लोगों को ढूंढने तथा उन्हें वहां से लाने के लिए एक बचाव दल बनाया गया जिसमें श्री सोनम शामिल थे। हिमस्खलनों, बहुत कम प्रकाश और बर्फीले तूफानों के बीच चलते हुए बचाव दल को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 29 नवम्बर, 1986 को 12,500 फुट की ऊंचाई पर "राक्षस ढंग" पर चढ़ते समय श्री सोनम फिसल कर एक दरेड़ में गिर गए और उन्हें बचाव दल के अन्य सदस्यों द्वारा बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना से भयभीत न होकर, श्री सोनम ने अपना साहसिक कार्य तब तक जारी रखा जब तक कि वह फंसे हुए वाहनों तक नहीं पहुंच गए। तत्पश्चात् उन्होंने उन फंसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालने में सहायता की जिनमें शीत-दंश से ग्रस्त दो मामले भी शामिल थे, जिन्हें उठाकर अत्याधिक ढलान से ले आना पड़ा।

श्री सोनम ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए उन फंसे हुए व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

36. श्री मोहेद मीर,
गांव तथा डाकखाना सोनमर्ग,
जिला श्रीनगर,
जम्मू व कश्मीर।

37. श्री सफी गुज्जर,
गांव गगनगीर,
डाकखाना कुलान,
जिला श्रीनगर,
जम्मू व कश्मीर।

14-15 नवम्बर, 1986 को जोजिला क्षेत्र में हिमस्खलनों के कारण एक दुर्घटना हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और काफी संख्या में वाहन दब गए थे। बर्फ को हटाने और खोज-कार्यों में सहायता करने के लिए अन्य श्रमिकों के साथ, श्री मोहेद मीर और श्री सफी गुज्जर को भी भेजा गया था।

23 नवम्बर, 1986 को जब वे बर्फ को हटा रहे थे, तब दो डोजर-प्रचालक 1000 फुट गहरी तंग घाटी में अकस्मात गिर गए। श्री मोहेद मीर और श्री सफी गुज्जर पहाड़ी के गहरे चट्टानी तल से होकर उस स्थल पर पहुंचे जहां दोनों डोजर-प्रचालक बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को तंग घाटी से बाहर निकलने में सहायता की और उन्हें उस स्थान तक ले आए जहां उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक हेलीकोप्टर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।

श्री मोहेद मीर और श्री सफी गुज्जर ने अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए दो व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

38. श्री अम्बा दत्त,
गांव छानी,
डाकखाना सतसीलिंग,
जिला पिथौरागढ़,
उत्तर प्रदेश।

39. श्री साधुराम,
गांव कमालपुर,
डाकखाना छुटुमलपुर,
जिला सहारनपुर,
उत्तर प्रदेश ।

25 नवम्बर, 1986 को, जी० आर० ई० ए० के 5 कार्मिकों और एक दिहाड़ी-मजदूर के साथ श्री अम्बा दत्त और श्री साधु राम जब स्टिंगरी से मनाली जा रहे थे, भारी बर्फ पड़ने और मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण मनाली सारचू मार्ग पर 52 किलो मीटर पर रोहतांग टाप में असहाय अवस्था में फंस गए । दल ने 13050 फुट पर बर्फीली सर्दी में रात्रि व्यतीत की । हिमपात और खतरनाक हिमस्खलन का सामना करते हुए 18 किलो मीटर की दूरी को रेंगकर तय करने के बाद दोनों व्यक्ति 26 नवम्बर 1986 को मढ़ी स्थित सर्वाधिक समीपवर्ती टुकड़ी तक पहुंचे ताकि उन्हें कुछ सहायता मिल सके । कुछ व्यक्तियों की सहायता से उन्होंने बर्फ काटने वाली दो मशीनें चलाई ताकि असहाय कार्मिकों और वाहन सं० 57902 को बचाया जा सके । तथापि, भारी हिमजमाव और तूफानी मौसम होने के कारण बर्फ काटने वाली मशीनें उस स्थान तक नहीं पहुंचाई जा सकीं । 28 नवम्बर, 1986 को उन्होंने एक रास्ता बनाया, रेंगकर रानी नाला पार किया और ऊपर से आकर बिछुड़े हुए कार्मिकों से मिले । वे दो व्यक्तियों को अपने कंधों पर उठाकर मढ़ी ले आए । खराब मौसम होने के कारण हेलीकोप्टर से दो अन्य बीमार व्यक्तियों को ले जाने के उनके प्रयास विफल साबित हुए । पुन: 30 नवम्बर 1986 को उन्होंने नेपाली श्रमिकों की सहायता से दो और असहाय व्यक्तियों को वहां से निकाला ।

श्री अम्बा दत्त और श्री साधु राम ने अपने जीवन के खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए फंसे हुए व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

कार्मिक लोक, शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 1988

शुद्धि-पत्र

सं० 10/1/87-के० से०-II:—भारत के राजपत्र में दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 को प्रकाशित हुई इस विभाग की दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 की अधिसूचना संख्या 10/1/87-के० से०-II की मद (XVII) के पैरा 5 के उप पैरा (ग) में 'लिखित शब्दों तथा आंकड़ों "12 अक्तूबर, 1987" के स्थान पर "23 नवम्बर 1987 शब्द तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किये जाएं।

एस० सुभद्रा, अवर सचिव

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1988

सं. 10/8/87-के. सं. 2—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1988 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों की अस्थायी रिक्तयों में नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:—

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपि-संवर्ग का ग्रेड-2)

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (उक्त ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु)

(3) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (इस ग्रेड का चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए)

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड ग और

(5) भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों/संगठनों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा ख/रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक या एक से अधिक सेवा सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। वह इनमें से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किये जाने का इच्छुक है उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

टिप्पणी 1—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों उनका वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों के वरीयता क्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध रोजगार समाचार में लिखित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

टिप्पणी 2—इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों की ही आवश्यकता होगी और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाएगी जिन्हें लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी के आशुलिपिक परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है (द्रष्टव्य: नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 4) ।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जायेंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

4. (1) उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) नेपाल की प्रजा या

(ग) भूटान की प्रजा या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व) टांगानिका और जंजीबार, पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जांबिया, मलावी, जैरे इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (ङ) और (घ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी), प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु यह शर्त और कि उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड (II) से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तीन से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है। किन्तु यह प्रतिबन्ध 1962 में हुई परीक्षा से प्रभावी होगा।

टिप्पणी 1—इस नियम के प्रयोजन के लिए परीक्षा से अभिप्राय है आशुलिपिक परीक्षा, आशुलिपिक (आपातकालीन कमीशन/अल्पकालीन कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी तथा भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा तथा आशुलिपिक (भूतपूर्व सैनिक परीक्षा)।

टिप्पणी 2—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के प्रतियोगिता में बैठे तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा तब माना जाएगा, जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

टिप्पणी 4—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उनके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाए/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए।

6. (क) इस परीक्षा में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1988 को पूरे 18 वर्ष की हो गई हो किन्तु उसकी आयु पूरे 25 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1963 से पहले और 1 जनवरी, 1970 के बाद का हो।

(ख) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के अधीन व्यक्तियों सहित, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिक (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल हैं), लिपिक/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1988 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत) लिपिकों/आशुटंककों के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं।

परन्तु उपर्युक्त आयु सम्बन्धी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जायेगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं।

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(2) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-का ग्रेड (II) या

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग।

टिप्पणी 1—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छटाईकारों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6 (ग) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में दी गई सेवा मानी जाएगी।

टिप्पणी 2—रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्ति सेवा लिपिकों द्वारा की गई या उपर्युक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(3) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और 1 अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, या संयुक्त गणराज्य तंजानिया भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी है या जाम्बिया, मलावी जेरे तथा इथियोपिया का भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिकतम आठ वर्ष तक।

(8) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(9) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या जनजाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(10) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(11) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(12) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई, 1978 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(13) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तथा भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय पारपत्रधारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपातकाल प्रमाण-पत्र रखने वाला, ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक ।

(14) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकलीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1988 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और (i) जो कदाचार या अक्षमता या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं। (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1988 से छः महीने के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(15) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1988 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और (1) जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्यकाल पहली, जनवरी, 1988 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(16) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों के मामले में जिन्होंने पहली जनवरी, 1988 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष ।

(17) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों के मामले में जिन्होंने पहली जनवरी 1988 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष ।

(18) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(19) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 से तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक तीन वर्ष तक।

(20) यदि कोई उम्मीदवार 1 जनवरी, 1980 से 15 जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान असम राज्य में रहा है तो उसके लिए अधिक से अधिक 6 वर्ष तक।

(21) यदि कोई उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का हो और 1 जनवरी, 1980

से 15 अगस्त, 1985 तक सामान्यतः असम राज्य में रह रहा है, उसके लिए अधिक से अधिक 11 वर्ष तक।

टिप्पणी :—भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन के लिए दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त करके पहले से ही सिविल क्षेत्र में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं वे उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 (ग) (xiv) और 6 (ग) (xv) के अधीन आयु सीमा में छूट पाने के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

विशेष ध्यान :—(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन-पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(2) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक सहित)/लिपिक/आशुटंकक जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित किया गया था यदि वह अन्यथा प्राप्त है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. उम्मीदवार ने भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल परीक्षा, या कोई और प्रमाण-पत्र हो जो राज्य सरकार की नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष हो।

टिप्पणी 1—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं बशर्ते कि उम्मीदवारों ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. उन सभी उम्मीदवारों को जो पहले से सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हों या जो लोक उद्यमों में सेवारत हों तो यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 7 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

1. किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
2. नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य पालन कराया है, अथवा
4. जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या
9. परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या
10. परीक्षाएं चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
11. उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या
12. उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग का अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

(1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उसके योग्यताक्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त समझेगा उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अन्य सेवाओं/पदों में अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक के नामों की अनुशंसा की जाएगी।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तयों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग"/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के चयनसूची में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विशेष सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

16. परीक्षा में पास होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

17. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है।

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकता है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने पद के कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनको नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संभावना हो।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन रक्षा सेवा के डिमोबोलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

10. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसके संविधान विवरण परिशिष्ट में दिए गए हैं।

के. गोपाल राव, अवर सचिव

परिशिष्ट I

1. परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(I) सामान्य अंग्रेजी	2 घंटे	100
(II) निबन्ध	2 घंटे	100
(III) सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए)—300 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी।

2. सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्नों के नमूने सहित विवरण के लिए आयोग के नोटिस (अनुबन्ध-II) के साथ लगी उम्मीदवारों के लिए सूचना पुस्तिका देखिए।

3. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि परीक्षाओं की योजना उस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

4. उम्मीदवार "निबन्ध" के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी में दे सकता है। यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र पर लागू होगा न कि उसके किसी भाग पर।

जिन उम्मीदवारों ने निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए हिन्दी (देवनागरी) का विकल्प दिया है यदि वे चाहें तो कोष्टकों में तकनीकी शब्दों को हिन्दी में लिखने के साथ उनका अंग्रेजी रूपांतर कोष्टकों में लिख दें।

जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी।

निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (हिन्दी और अंग्रेजी) दोनों में तैयार किये जायेंगे।

टिप्पणी 1:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न (II) का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने के इच्छुक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 8 में लिखें अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा अंग्रेजी में देंगे।

एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार ने आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में परीक्षा दी है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:—जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि नियुक्ति के बाद सीखनी होगी।

टिप्पणी 3:—जो उम्मीदवार किसी विदेश में भारतीय मिशन पर परीक्षा देना चाहता है उसे विदेश स्थित किसी ऐसे भारतीय मिशन पर अपने खर्च पर स्टेनोग्राफी परीक्षण देना होगा जहां ऐसा परीक्षण करने की व्यवस्था सुलभ है।

5. लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र (सामान्य अंग्रेजी) केवल अंग्रेजी में ही तैयार किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही उत्तर दिए जाएंगे।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिन्ट वाले श्रुतलेख में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के क्रम में ऊंचा रखा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक योग्यता अनुक्रम में रखा जाएगा। (द्रष्टव्य: निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख)।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग की विवक्षा के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

10. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों में पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

12. निबंध के प्रश्न पत्र की परीक्षा में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

13. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

भाग क

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी :—भाग 'क' के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी :—यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि इससे उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। इस प्रश्न पत्र में शब्दों के शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और अव्यय (प्रिपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते हैं।

निबन्ध :—उम्मीदवारों को दो प्रकरणों पर निबन्ध लिखना होगा। विषय चुनने की छूट दी जाएगी। उनमें यह आशा की जाएगी कि वे अपने विचार व्यवस्थित रूप से निबन्ध के विषय के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। प्रभाव पूर्ण ढंग से तथा ठीक-ठीक भाव व्यक्त करने वालों को श्रेय दिया जाएगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :—

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, वर्तमान घटना क्रम, सामान्य विज्ञान और दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्य-पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग ख

आशुलिपिक परीक्षा योजना

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना :—अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवार को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

परिशिष्ट

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है :—

क—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड "क" तथा "ख" (विलयित) : रु. 2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500

ग्रेड "ग" : रु 1400-40-1600-50-2300-द. रो. 60-2600

ग्रेड "घ" : रु. 1200-30-1560-द. रो.-40-2040

रु. 3000-100-3500-द. रो-125-4500 के वेतनमान में एक नए ग्रेड के गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(2) उक्त सेवा के ग्रेड ग में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यलयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड ग में उनके अपने विकल्प के अनुसार की जाएगी उस नियुक्ति के पश्चात भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

(क) (1) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्न ग्रेड हैं :—

ग्रेड "क तथा ख" (विलयित) : रु. 2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500

ग्रेड "ग" :रु. 1400-40-1600-50-2300-द. रो 60-2600

ग्रेड "घ" :रु. 1200-30-1560-द. रो.-40-2040

(2) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि सरकार की राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(3) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नहीं होता है।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी :—

(1) पेंशन लाभ के पात्र होंगे तथा

(2) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों पर लागू गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के अधीन उक्त निधि में अभिदान करेंगे।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश का हकदार होगा।

(ङ) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सम्मिलित स्टाफ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि रेलवे के अन्य स्टाफ से, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों में शामिल होंगे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक संवर्ग का

भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों संवर्ग में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड

ग्रेड-I रु. 2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500

ग्रेड-II रु. 1400-40-1600-50-2300-द. रो.-60-2600

ग्रेड रु. 1200-30-1560-द. रो.-40-2040

(2) उक्त सेवा के ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

3. भारतीय विदेश सेवा (शाखा-ख) आशुलिपिकों के संवर्ग में नियुक्त अधिकारी भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर. सी. एस. पी.) नियमावली 1964 भारतीय विदेश सेवा (पी. एल. सी. ए.) नियमावली 1961 जो भारतीय विदेश सेवा 'ख' के अधिकारियों पर लागू की गई है तथा वे अन्य नियम और आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं द्वारा शासित होंगे।

4. भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) विदेश मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशनों तक ही सीमित है। इस सेवा में नियुक्त अधिकारी वाणिज्य मंत्रालय को छोड़कर सामान्यतया अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकेंगे। परन्तु वे विदेशों में अन्य मंत्रालयों में निर्मित्त पदों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वे भारत में तथा भारत के बाहर कहीं भी उन स्थानों सहित जहां परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं रखना होता सेवा पर भेजे जा सकते हैं।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेश में, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उस दर से विशेष भत्ता दिया जाएगा, जो सम्बद्ध देशों के निर्वाह खर्च आदि के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए लागू भारतीय विदेश सेवा (पी. एल. सी. ए.) नियमावली, 1961 के अनुसार विदेश सेवा अवधि में निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क ससज्जित आवास।

(2) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधायें।

(3) 6 और 22 वर्ष की आयु के बीच के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए जो भारत में पढ़ रहे हों अथवा एक बच्चा भारत तथा दूसरा विदेश में अधिकारी की तैनाती से इतर किसी अन्य देश में पढ़ रहा हो कतिपय शर्तों के अधीन वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय। यदि सरकारी कर्मचारियों के भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे 6 और 22 वर्ष की आयु के बीच दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे विदेश में अपने माता पिता के पास यात्रा करने वाले दो बच्चों के बदले अपनी पत्नी की छुट्टियों के दौरान भारत भेजने का विकल्प होगा। ऐसे किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की पत्नी सस्ती से सस्ती उपलब्ध श्रेणी में वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय की हकदार होगी।

(4) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से 5 से 18 वर्ष के अधिक से अधिक दो बच्चों का शिक्षा भत्ता।

(5) विहित नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित दरों के अनुसार विदेशों में सेवा करने के संबंध में सज्जाकरण भत्ता प्राप्त होगा।

(6) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को घर जाने की छुट्टी का यात्रा किराया।

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, कतिपय संशोधनों के अधीन इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे। ये अधिकारी विदेश सेवा में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के अधीन प्राप्त छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा कर सकेंगे।

(7) उक्त अधिकारी जो भारत में होंगे, तो ऐसी रियायतों के हकदार होंगे, जो बराबर तथा एक समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राप्त हों।

8. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियमावली, 1960 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये देशों द्वारा शासित होंगे।

9. इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के द्वारा शासित होंगे :

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

आशुलिपिक

ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) रु. 2000-60-2300-द. रो.-75-3200-100-3500

ग्रेड ''ग'' रु. 1400-40-1600-50-2300-द. रो. -60-2600.

ग्रेड ''घ'' रु. 1200-30-1560-द. रो.-40-2040

2. अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड-ग (वैयक्तिक सहायक) के रूप में सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में यदि असंतोषजनक सेवा अभिलेख रहा, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है। परिवीक्षाधीन अवधि में उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड सकती हैं।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती किया गया ग्रेड ग का आशुलिपिक सामान्यतः सशस्त्र सेना मुख्यालय और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अंतर सेवा संगठन के किसी कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा। वह दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा जहां शस्त्र सेना मुख्यालय अन्तर सेवा संगठन के कार्यालय स्थित हों।

4. ग्रेड ग के आशुलिपिक ग्रेड ख (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) समय-समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार ग्रेड क के आशुलिपिक (निजी सचिव) के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता और सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 1988

सं० एफ० 3-3/87-प्रशासन—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस विभाग के निम्नलिखित अनुसंधान अधिकारियों को निम्नलिखित वरिष्ठता क्रम में 3000-100-3500-125-4500 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पदों पर 16 दिसम्बर, 1987 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :—

(1) श्री एम० पी० एस० सेठी

(2) श्री एम० एल० अमीन

2. यह अधिसूचना इस विभाग की पहले जारी की गई दिनांक 28 दिसम्बर, 1987 की समसंख्यक अधिसूचना को रद्द करते हुए जारी की जाती है।

डी० आर० सुमन, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th February 1988

No. 11-Pres/88.—The President is pleased to approve the award of "SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK" to the undermentioned person :—

Shri Gajendra Singh, (Posthumous)
Village Sirwari Patti Khaliag,
Banger, Tehsil Dev Paryag,
Tehri Garhwal (U.P.).

On the night of 17th/18th July, 1986, 13 persons died due to heavy raintall and cloudburst in vilage Sirwari in Tehri Garhwal district of Uttar Pradesh. Shri Gajendra Singh saved 23 persons who were swept away by the swift flowing water and took them to a safer place; and in an attempt to save the lives of some more persons, he himself lost his life.

Shri Gajendra Singh showed exceptional and exemplary courage and promptitude in saving the lives of 23 persons and sacrificed his own life in a bid to save many others from the jaws of death.

No. 12-Pres/88.—The President is pleased to approve the award of "UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK" to the undermentioned persons :—

1. Shri Malkiat Singh,
Village and Post Office Rurki Khas,
Tehsil Garh Shankar,
District Hoshiarpur (Punjab)

On the 16th February, 1987, a portion of the house adjoining the Tagore Model School, Kothi Road, Nawanshahar collapsed and its debris fell on the students sitting in the open compound. Shri Malkiat Singh who was teaching at that time in one of the classes immediately got into action and rescued 9 children before a heavy piece of masonry fell on him killing him on the spot.

Shri Malkiat Singh showed exemplary courage and promptitude in saving the life of 9 children at the cost of his own precious life.

2. Shri Prem Singh,
Village Mankoli, P.O. Patti,
Algata, Tehsil Didihat,
District Pithoragarh (U.P.).

On the 7th June, 1986, seven girls, who were returning home from the jungle, where they had gone to cut grass, entered the Ramganga tank for drinking water and taking bath. They slipped into the deep water and struggled for their lives as none of them knew swimming. They shouted for help and Shri Prem Singh, a 15 year old boy, heard their screams. He immediately rushed to the tank and saved all the girls from drowning. He brought them out of water.

Shri Prem Singh showed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of the seven helpless girls unmindful of risk involved to his own life.

3. Shri Ajit Singh,
1057 Field Workshop (GREF),
C/o 56 APO.

4. Shri Amar Singh,
1057 Field Workshop (GREF),
C/o 56 APO.

5. Shri Swaran Singh,
1057 Field Workshop (GREF),
C/o 56 APO.

6. Shri Pritam Singh,
1057 Field Workshop (GREF),
C/o 56 APO.

On the 17th July, 1985, at Akhnoor, a massive double storeyed building collapsed due to continuous heavy rains and 70 labourers and their family members were trapped inside the debris. Shri Ajit Singh, Shri Amar Singh, Shri Swaran Singh and Shri Pritam Singh, employees of 1057 Field Workshop (GREF) were detailed to rescue the helpless victims.

The entry into the collapsed building was not only difficult but also suicidal. However, they ignored their personal safety and entered the ravaged building through a small hole made in the wall. They successfully extricated a number of persons, including women and children, out of the debris alive. They also retrieved a number of dead bodies.

Shri Ajit Singh, Shri Amar Singh, Shri Swaran Singh and Shri Pritam Singh showed exemplary courage and promptitude in adverse conditions totally unmindful of the grave risk involved to their own lives during the course of the rescue operations.

No. 13-Pres/88.—The President is pleased to approve the award of "JEEVAN RAKSHA PADAK" to the undermentioned persons :—

1. Shri Pukkalla Venkata
Lakshmi Narayan Swamy
Portland Park,
Near Venkateswara Temple,
Visakhapatnam.

On 16th October, 1986, a ferry boat of Visakhapatnam Port Trust carrying about 45 passengers against the capacity of 25, from Yarada Hill to P.C. Jetty across the sea entrance channel of 400 feet length and about 35 to 40 feet depth, capsized presumably due to overloading. On seeing the accident, some of the employees of Visakhapatnam Port Trust went to the rescue of the drowning passengers. Among them was Shri Pukkalla Venkata Lakshmi Narayan Swamy who jumped into the sea without caring for the risk to his own safety and saved the lives of five women and three children. Seven other passengers lost their lives in the accident.

Shri Pukkalla Venkata Lakshmi Narayan Swamy showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of eight persons totally unmindful of the risk involved to his own life.

2. Shri Vishwanadha Raju
Indukuri,
Utchili Village,
Atrayapuram Mandal,
East Godavari District,
Andhra Pradesh.

During the unprecedented floods in river Godavari in August, 1986, there was a threat of breach to the head-sluice at Bobbarlanka in East Godavari District. While the officials and technical experts were trying desperately to avert the breach, Shri Vishwanadha Raju Indukuri organised manpower and material to undertake the preventive measures. He himself, with a rope tied to his back, dived to a depth of 30 feet into the flood water, dumped hundreds of sandbags

and rocks at the bottom with the help of his volunteers continuously for three days from 16th August, 1986 to 19th August 1986 and averted breach to the head-sluice, thereby saving the lives of several thousand persons and cattle from submersion and a vast area of agricultural land from erosion.

Shri Viswanadha Raju Indukuri showed exemplary courage and promptitude in conducting such a mammoth preventive operation totally unmindful of grave risk involved to his own safety.

3. Shri Dadubhai Somabhai Katara,
Shamlaji-Post, Bhiloda-T.K.,
Sabarkantha District, Gujarat.

4. Shri Kalubhai Kamagbhai Katara,
Shamlaji-Post, Bhiloda-T.K.,
Sabarkantha District, Gujarat.

On the 23rd February, 1986, a group of school girls alongwith their teachers went to Mashwo Dam on Mashwo River for a picnic. While the teachers and some of the girls went for sailing in the dam water in a country boat, suddenly the boat lost its balance and turned turtle. All the occupants of the ill-fated boat went down the water and were struggling for their lives.

Shri Dadubhai Somabhai Katara and Shri Kalubhai Kamagbhai Katara, who were nearby at that time, noticed the mishap and immediately jumped into the water in order to save the hapless victims. They successfully rescued three girls from the deep water. Unfortunately 15 other victims lost their lives. Even though several villagers watched the scene from the bank of the river, nobody except these two brave boys ventured to save the lives of the mishap victims.

Shri Dadubhai Somabhai Katara and Shri Kalubhai Kamagbhai Katara showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of three girls totally unmindful of the risk involved to their own lives.

5. Shrimati Kartaro Devi,
W/o Late Shri Bansi Lal,
Village Chauri,
P.O. Sujanpur,
Sub-Tehsil Sujanpur,
District Hamirpur,
Himachal Pradesh.

On the night of 22nd October, 1986, four armed thieves entered the house of Smt. Kartaro Devi and asked the women present in the house to hand over their belongings. When the women refused, one of the thieves fired at one Shrimati Jiwana Devi, who died on the spot. Meanwhile, Shrimati Kartaro Devi caught hold of one of the thieves by his waist. His companions fired repeatedly on Shrimati Kartaro Devi in a bid to free him. Consequently, both Shrimati Kartaro Devi and the thief she was catching hold of sustained bullet injuries. While the thief died on the spot, Shrimati Kartaro Devi was taken to hospital by the villagers who had reached the spot on hearing the gun shots and shrieks of the women.

Shrimati Kartaro Devi showed exemplary courage and bravery in thwarting the attempt of the thieves to rob the women of the household of their belongings and saved their lives totally unmindful of the risk involved to her own life.

6. Shri Babani Sonnu Kumatekar,
Behind Kapli Temple, Kodibag,
Karwar-561303, Karnataka.

On the 11th May, 1984, a lady who was passing on the Kodibag Bridge on the Kali river fell into it and Shri Babani Sonnu Kumatekar, who was fishing nearby, noticed the incident. He immediately jumped into the river and rescued her.

Shri Babani Sonnu Kumatekar showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the lady totally unmindful of the risk involved to his own life.

7. Shri Renukaswamy Veerayya Kamatad,
Siddarude Ashrama, Old Hubli,
Dharwad District, Karnataka.

On the 30th September, 1985, a lady jumped into a big tank alongwith her two children with the intention to commit suicide. A boy who happened to be on the site informed of this incident to the Siddarude Mutt authorities but none came forward to save the lady and her children except Shri Renukaswamy Veerayya Kamatad, a student of Siddarude School. He immediately jumped into the big tank and brought the lady and her children out of water. The lady survived but her children died in the hospital.

Shri Renukaswamy Veerayya Kamatad showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the lady totally unmindful of the risk involved to his own life.

8. Shri Narayana Karvi,
House No. 22, Kasba Bangere,
Mangalore, Dakshina Kannada
District, Karnataka.

On the 1st September, 1983, a fishing boat with two fishermen on board capsized in the Arabian Sea due to stormy weather and the two fishermen were struggling for their lives in the tempestuous sea. People assembled on the shore saw this and made a hue and cry. Shri Narayana Karvi, who happened to be there, immediately jumped into the sea and brought the victims ashore by swimming for more than three kilometres.

Shri Narayana Karvi showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two persons totally unmindful of the grave risk involved to his own life.

9. Master Satish Dyavappa Naik,
C/o Shri Dyavappa Lingappa Naik,
Somanahalli (Jipagi) Nare Bail
Sirsi, Uttara Kannada District,
Karnataka.

On the 1st November, 1985, Master Satish Dyavappa Naik was working on an oven in the bathroom for preparing hot water while his parents had gone out for work. The thatched roof of the bathroom accidentally caught fire which soon spread to the entire hut. Master Satish realised that the entire hut was in flames and his brother aged 4 years and sister aged 2 years were sleeping inside. He immediately shouted for help but nobody was nearby to come to his help. Master Satish, in utter disregard to his own safety, rushed into the burning hut twice, to rescue his brother and sister.

Master Satish Dyavappa Naik showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two young children totally unmindful of the risk involved to his own life.

10. Shri Deveendra Putta Gowda,
Kalasi, Attisavala Post,
Yellapur Taluk,
North Kanara District,
Karnataka.

On the 4th February, 1986, five women of Arabail village were crossing the Bedti River in a teppa (raft). Unfortunately the teppa (raft) capsized in the middle of the river. All the women, who did not know swimming, were drowning in the river. Shri Deveendra Putta Gowda, who happened to be there, noticed the plight of the women and rushed to the spot in another teppa. He jumped into the river and pulled four of them out of water. The fifth woman could not be saved and her body was brought out of water by Shri Gowda.

Shri Deveendra Putta Gowda showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of four hapless women totally unmindful of grave risk involved to his own life.

11. Kumari P. Sheeba Joseph,
Ponthottiyal,
Pashukkadavu P.O.,
Kozhikode District,
Kerala.

On 21st June, 1986, a 25 year old woman and her six year old son, were bathing on the bank of the Kadumthara river. The boy slipped and fell into the deep river and was swept away by the strong under current in the river. The woman shouted for help. On hearing this, Kumari P. Sheeba Joseph, who was also bathing nearby, rushed to the spot. She immediately jumped into the river and swam towards the drowning boy. She caught hold of the unconscious boy and brought him ashore after swimming about 25 metres.

Kumari P. Sheeba Joseph showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the young boy totally unmindful of the risk involved to her own life.

12. Shri C. Chandrasekharan,
Head Master,
Govt. L.P. School,
Vellayil,
Kozhikode District,
Kerala.

On the 10th October, 1985, a nine year old girl, a student of III standard of Government L.P. School, Vellayil, Kozhikode accidentally fell into a well while drawing water. On hearing of the incident, Shri C. Chandrasekharan, Headmaster of the said school, rushed to the spot. Even though he is a chronic heart patient, Shri Chandrasekharan without any hesitation jumped into the well and saved the girl from drowning.

Shri C. Chandrasekharan showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the young girl totally unmindful of his own safety.

13. Shri T. Ramakrishnan,
Thuruthiyyil House,
Thiruvallur, Badagara Taluk,
Kozhikode District,
Kerala.

On 10th August, 1986, a country boat carrying 16 passengers capsized in Vellookhare river about 15 metres away from the river bank due to heavy downpour and strong wind. All the passengers were struggling for their lives and shouted for help. Hearing their shouts, Shri T. Ramakrishnan, who happened to be there near the river bank, rushed to the spot. He got into a boat lying there, tore his dhoti into two pieces. He tied one end of the dhoti with the boat and the other end with a telephone post and drew the boat towards the capsized boat. He brought the drowning persons into the rescue boat and administered first aid. Unfortunately one of them died in the boat. When the boat was ready to leave, someone pointed out that one lady was missing. Shri Ramakrishnan immediately jumped into the river and fished out the dead body of the lady.

Shri T. Ramakrishnan showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of 14 persons totally unmindful of the risk involved to his own life.

14. Kumari Nellikunnel Parameswaran Bindu,
Nellikunnel House, Palakuzha,
Muvattupuzha Taluk, District Ernakulam,
Kerala.

On the 28th June, 1985, a nine year old girl, student of Government Model High School, Palakuzha, went to an overflowing water tank to wash her tiffin box, alongwith other students. While washing her tiffin box, she accidentally slipped and fell into the tank, where the depth of water was 6 metres and was drowning. On hearing the shouts of the other children, Kumari Nellikunnel Parameswaran Bindu, a student of the school rushed to the spot. She immediately jumped into the tank, pulled the girl out of deep waters and brought her to the surface. Both the girls were pulled out of water by some teachers who reached the spot by that time.

Kumari Nellikunnel Parameswaran Bindu showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the drowning girl totally unmindful of the risk involved to her own life.

15. Shri Rajendra Shivaji Chaware,
At, Post and Taluk Madha,
District Sholapur,
Maharashtra.

On the 9th October, 1984, six women were crossing the bridge on the river Mankarna holding each other's hands. The bridge was submerged due to floods and the water was flowing 40 centimetres high over the bridge. Unable to withstand the swift water currents, all the women slipped and fell into the flooded river. Shri Rajendra Shivaji Chaware, who happened to be there, noticed this and immediately jumped into the river to save the drowning women. With great efforts he could succeed in saving the lives of three women.

Shri Rajendra Shivaji Chaware showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of the drowning women totally unmindful of the risk involved to his own life.

16. Shri Ravaji Bhikaji Keluskar,
At & Post Tarkarli,
Taluka Malvan,
District Ratnagiri,
Maharashtra.

On the 24th August, 1984, a boat carrying five persons capsized in a creek at Tarkarli village and began to drown. All the passengers were struggling for their lives and shouted for help. On hearing their shouts, Shri Ravaji Bhikaji Keluskar, who was fishing nearby, took his boat to the site of the accident and jumped into the water in order to save the drowning persons. He succeeded in saving all the persons one by one.

Shri Ravaji Bhikaji Keluskar showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of the drowning persons unmindful of the risk involved to his own life.

17. Kumari Somvati,
Village Jam Kachhar,
District Shahdol,
Madhya Pradesh.

On the 4th April, 1987, the house of one Shri Sonu in village Jam Kachhar caught fire and some persons including an eight month old child were trapped inside. The fire spread rapidly and Shri Sonu, who was outside the burning house, and other villagers just stood watching and dared not enter the burning house. Kumari Somvati, aged 16 years, daughter of Shri Sonu, undeterred by the raging fire, entered the burning house in a bid to rescue the victims. She could successfully bring the eight month old child, her brother, out of the burning house. Even though in the process, she had severe burns on her mouth, hands and legs, she again entered the burning house to save the other trapped persons but she became unconscious and fell down. She was removed from the site in an unconscious condition.

Kumari Somvati showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the child totally unmindful of the risk involved to her own life.

18. Shri Chhannu,
Village Simga,
Tehsil Simga,
District Raipur,
Madhya Pradesh.

On the 25th July, 1986, a truck with four persons inside fell into the flooded Shivnath river while crossing the bridge. This was noticed by a number of people who made a hue and cry. Shri Chhannu, who had gone for fishing, heard the shouts and rushed to the site. He immediately jumped into the river and saved the lives of the driver of the truck and another person.

Shri Chhannu showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two persons totally unmindful of the risk involved to his own life.

19. Shri Munnu Singh,
C/o District Commandant,
Home Guards, Sehore,
Madhya Pradesh.

20. Shri Sukhram Gond,
C/o District Commandant,
Home Guards, Sehore,
Madhya Pradesh.

On the night of 28th May, 1986, Shri Munnu Singh and Shri Sukhram Gond, Home Guards, who were on patrol duty to safeguard a Water Supply Plant on the banks of river Parvati, noticed flames in the nearby village Kahani. They immediately rushed to that village and found that the entire village was burning. Since there was not much water to extinguish the fire, the villagers were frantically trying to save their families and belongings.

The Home Guards first entered a burning shed where about 150 cattle were tied and set them free. Moving a little further, they heard the wails of children from a gutted house and in the face of leaping flames, saved the lives of a 11 year old by, a 3 year old girl and an infant. In the same house, they found an old man of 70 years unsuccessfully trying to come out with a box and saved him. In the process, both the Home Guards received burns and physical injuries.

Shri Munnu Singh and Shri Sukhram Gond showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of a number of villagers and cattle.

21. Kumari Lalita Panda,
C/o Shri Manoranjan Panda,
Driver, O.S.R.T.C.,
At-Patrapada,
P.O. /District Sundergarh,
Orissa.

On the 18th November, 1985, an O S R.T.C. bus carrying about 60 passengers was stopped near Pratap Nagar Canal and some passengers alongwith the driver got down to attend to the call of nature while some passengers remained inside the bus. A truck coming at a high speed dashed against the back of the bus and due to its impact the bus started rolling towards the canal. Kumari Lalita Panda, one of the passengers inside the bus near the Driver's Cabin, realised the gravity of the situation and without losing any time, pushed the brake with all her might, as a result of which the front right wheel stopped at the ridge of the canal enbankment and the passengers were saved.

Kumari Lalita Panda showed exceptional promptitude, alertness and presence of mind of highest order in saving the lives of 27 passengers who were inside the bus.

22. Shri Babulal Raiger,
C/o Shri Banchulal Raiger,
Village Jawanti Kala,
District Boondi,
Rajasthan.

23. Master Dhannalal Teli,
S/o Shri Chhatulal Teli,
Village Jawanti Kala,
District Boondi,
Rajasthan.

On the 24th January, 1986, a six year old student of Govt. Primary School, Jawanti Kala accidentally fell into a 20 ft. deep well, where the water level was 4 feet from the ground. On hearing about this, two students of the same school, Shri Babulal Raiger and Shri Dhannalal Teli rushed to the spot and immediately jumped into the well to save the life of the drowning boy, regardless of the grave danger to their own safety. Both the brave young men succeeded in rescuing the boy with the help of a teacher Shri Ashok Kumar Sharma, who bent into the well and drew the child out of the well.

Shri Babulal Raiger and Shri Dhannalal Teli showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the boy totally unmindful of the grave risk involved to their own lives.

24. Shri Shakti Singh Sisodia,
2 Chh. 8, Jawahar Nagar,
Jaipur-302004, Rajasthan.

On the 12th April, 1987, while the inauguration ceremony of a school in village Heerapur, District Jaipur was going on, some huts in a nearby village at a distance of 150 metres suddenly caught fire. In one of the burning huts, 2 children aged 4½ years and 1½ years were trapped inside.

Shri Shakti Singh Sisodia, Naib Tehsildar, immediately rushed to the spot. Regardless of grave danger to his own life, he entered the burning hut and brought both the children out to safety. He was also instrumental in extinguishing the fire with the help of traditional method of drawing water in 'charas' (life of water) from a nearby well.

Shri Shakti Singh Sisodia showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two children totally unmindful of the risk involved to his own life.

25. Shri Chand,
Village Nangala,
Order-Majra,
Sasipur, Tehsil Sardhana,
District Meerut,
Uttar Pradesh.

On the 27th November, 1985, Shri Chand went for a bath in Ganga Canal with his relatives and other companions. On coming out of the canal, he noticed that two of his relatives were drowning in the canal. He immediately jumped back into the canal and brought the drowning persons ashore but in the process he unfortunately lost his life.

Shri Chand showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two persons and in the process lost his own life.

26. Shri Jeevan Sonkar,
Mohalla Gorabazar,
P.O. Pirnagar,
District Gajipur,
Uttar Pradesh.

On the 14th January, 1985, on the occasion of Makar-Sakranti people were taking bath in the river Ganga. A 16-year old girl was swept away by the swift currents and her 14 year old sister, who tried to save her, was also swept away. Both the girls were drowning in the river. On seeing the plight of the two girls, their father jumped into the river in an attempt to save them but he was also swept away in swift flow of the river. A hue and cry followed at the ghat which drew Shri Jeevan Sonkar to the site of the incident. He lost no time in jumping into the river and saved all the three persons from drowning.

Shri Jeevan Sonkar showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of three persons totally unmindful of the risk involved to his own life.

27. Shri Ashok Kumar. (Posthumous)
Village Akola,
Thana Malpura,
District Agra,
Uttar Pradesh.

On the 14th October, 1986, a resident of village Akola came in contact with a live electric pole and received severe electric shock as a result of which he got stuck to the pole. On hearing his screams, Shri Ashok Kumar rushed to the spot and tried to save his life. Shri Ashok Kumar succeeded in his attempt to save the life of the hapless victim but in the process lost his own life.

Shri Ashok Kumar showed exemplary courage and promptitude in saving the life of a person and in the process sacrificed his own life.

28. Shri Ashis Kumar Dutta, (Posthumous)
Mirbazar Piri Lane,
Midnapore,
West Bengal.

On the 7th October, 1986, a 60 year old woman came into contact with a live wire in Mirbazar Piri Lane and had severe electric shock. On noticing the plight of the hapless woman, Shri Ashis Kumar Dutta rushed to her rescue and saved her life by removing the live wire from her body. But in the process, Shri Dutta sustained electric shock injury on his person and fell down unconscious. He was taken to hospital where he succumbed to the electric shock injury.

Shri Ashis Kumar Dutta showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the old woman and in the process sacrificed his own life.

29. Number 4450839
Naik Kaur Singh,
10 Sikh Light Infantry,
C/o 99 APO.

On the 23rd July, 1985, while Naik Kaur Singh was returning to barracks, he saw a civil truck with one person on top of it submerged in the Mal Nullah. He rushed to the spot and jumped into the nullah. He swam over to the truck, took the person on his back and started swimming back to the bank, with the help of a rope which had been tied earlier by fire brigade personnel. But in the midway both of them fell into the water. However, Naik Kaur Singh caught hold of the person on his back and brought him to the bank safely.

Naik Kaur Singh showed exemplary courage and promptitude in saving the life of a person unmindful of the risk involved to his own life.

30. Number 2570391
Lance Naik Alagu Natarajan,
18 Madras (Mysore),
C/o 56 APO.

On the 1th May, 1985, while patrolling the area of Kankaria Lake, which is known as 'suicide lake' because of the poisonous water it contains, Lance Naik Alagu Natarajan noticed a woman drowning in it. He immediately stopped his vehicle, rushed to the spot and jumped into the lake with his boots and belt on and saved the woman.

Lance Naik Alagu Natarajan showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the woman totally unmindful of the grave danger to his own life.

31. Number 1434232 CHM Nanak Chand, Engrs.,
Specialist Training Battalion (D),
Bengal Engineering Group & Centre,
Roorkee.

On 7th February, 1985, Dr. Arvind Kumar Gupta, a resident of Janakpuri, Saharanpur, accidentally fell into the Ganga Canal while crossing a railway bridge over it and was being carried away by the fast currents. On hearing about this, CHM Nanak Chand who was conducting Watermanship training at a distance of 1 kilometre, rushed to the spot on a safety boat driven by Naik Ram Kripal Singh. On reaching the post he jumped into the icy cold water and swam towards the drowning person He caught hold of the doctor who had by that time become unconscious and brought him into the boat with the help of Naik Ram Kripal Singh.

CHM Nanak Chand showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the drowning person totally unmindful of the risk involved to his own life.

32. Number 2678127
Grenadier Banwari Lal,
3 Grenadiers,
C/o 56 APO.

On the 26th February, 1986, a house in village Muthlanwala caught fire and a number of persons were trapped inside the burning house. On noticing the fire, Grenadier Banwari Lal, who was on internal security duty near the village, rushed to the spot. He found that the persons trapped inside the burning house were screaming and struggling for their lives. Without any hesitation Grenadier Banwari Lal entered the burning house and rescued an infirm woman and a small child. He also saved the cattle from the burning yard. Then he climbed on the burning roof and put out the fire by spraying water.

Grenadier Banwari Lal showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two persons and a number of cattle totally unmindful of the risk involved to his own life.

33. Number 2864024 Y
Rifleman Baldev Singh,
14 Raj Rif,
C/o 56 APO.

34. Number 2880620P
Rifleman Brijpal Singh,
14 Raj Rif,
C/o 56 APO.

On the 28th May, 1985, while returning from the training camp at Kesrisinghpura, Riflemen Baldev Singh and Brijpal Singh and their colleagues noticed a fire raging in the nearby town. They alongwith their colleagues rushed to the spot where they found a shop-cum-mill burning with the owner of the mill and his family trapped inside. Undeterred by the raging fire, both the riflemen entered the burning mill and rescued all the persons trapped inside. In the process these valient youngmen sustained burn injuries

Riflemen Baldev Singh and Brijpal Singh showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of the hapless victims totally unmindful of the risk involved to their own lives.

35. Shri Sonam,
110 Road Construction Company
(GREF), Koksar.

On the 27th November, 1986, a wireless message indicating that 13 personnel were missing since 26th November, 1986 was received in Road Construction Company (GREF) from their detachment at Marhi. A rescue party, including Shri Sonam, was organised to locate and evacuate the man from a height of 13,500 feet. he rescue party had a tough time walking through avalanches, bad visibility and snow blizzards. On 29th November, 1986, while climbing up "Rakshash Dhang", at 12,500 feet, Shri Sonam slipped into a crevice and he was pulled out by the other members of rescue party. Undaunted by this mishap, Shri Sonam still continued in his venture till he reached the trapped vehicles and helped in rescuing the stranded persons, including two frost-bite persons, who had to be carried manually through steep slopes.

Shri Sonam showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of stranded persons totally unmindful of the risk involved to his own life.

36. Shri Mohed Mir,
Village & P.O. Sonamarg,
District Srinagar,
Jammu & Kashmir.

37. Shri Safi Gujjar,
Village Gaganeir,
P.O. Kulan,
District Srinagar,
Jammu & Kashmir.

On the 14/15th November, 1986, an accident occurred due to avalanches in the zojila area, resulting in the death of many persons and burial of large fleet of vehicles. Shri Mohed Mir and Shri Safi Gujjar, alongwith other labourers, were detailed to assist in the snow clearance and recovery operations.

On the 23rd November, 1986, while they were clearing the snow, two dozer operators accidentally fell into a 1000 feet deep gorge. Shri Mohed Mir and Shri Safi Gujjar went through the deep rock face of the hill and reached the site where both the dozer operators were struggling to come out. They helped both the victims out of the gorge and took them to the place where a helicopter was waiting to evacuate them.

Shri Mohed Mir and Shri Safi Gujjar showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of two persons unmindful of the risk involved to their own lives.

38. Shri Amba Datt,
Village Chhani,
P.O. Satsiling,
District Pithoragarh,
Uttar Pradesh.

39. Shri Sadhu Ram,
Village Kamalpur,
Post Chhudumalpur,
District Saharanpur,
Uttar Pradesh.

On the 25th November 1986, Shri Amba Datt and Shri Sadhu Ram, alongwith 5 GREF personnel and one casual paid labourer, got stranded at Rohtang Top, 52 Kilometres on Manali-Sarchu road while on way from Stingri to Manali, due to heavy snowfall and road blocks. The group spent the night in freezing cold at a height of 13050 feet. On the 26th November, 1986, Shri Amba Datt and Shri Sadhu Ram crawled a distance of 18 kilometres in the midst of snow-falls and dangerous avalanches and reached the nearest detachment at Marhi in order to get some help. With the help of some persons, they managed to move two Snow Cutters so as to rescue the stranded personnel and the vehicle. However, Snow-Cutters could not reach the spot due to heavy snow deposits and stormy weather conditions. On 28th November, 1986, they made a track, crossed Rani Nallah by crawling and met stranded personnel coming from top. They carried two persons on their shoulders to Marhi. Their attempts to shift two other sick persons by helicopter proved futile due to bad weather. Again on the 30th November 1986, they evacuated two more stranded persons with the help of Nepali labourers.

Shri Amba Datt and Shri Sadhu Ram showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of stranded persons totally unmindful of the risk involved to their own lives.

S. NILAKANTAN
Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th January 1988

No. 10/1/87-CS. II.—In this Department's notification No. 10/1/87-CS. II dated 24th October, 1987 published in the Gazette of India dated 24th October, 1987 in item (xvii) of sub-para (C) of para 5 for the words and figures, "12th October 1987", the words and figures "23rd November 1987" shall be *substituted*.

S. SUBHADRA
Under Secy.

RULES

New Delhi, the 20th February, 1988

No. 10/8/87-CS. II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1988 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers' cadre;

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service —Grade C; and

(v) Posts of Stenographer in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

1. A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

NOTE 1.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts, for which they wish to be considered. No request or alteration in the order of preferences for the Serices/posts for which he is competing, would be considered from a candidate unless, the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the result of the written examination in the Employment News.

NOTE 2.—Some departments/ offices of the Government of India making recruitment through this examination would require only English Stenographers and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Test in English (c. f. para 4 of Appendix I to the Rules).

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. (1) A candidate must be either;

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malavi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permited more than three attempts at the examination but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, the examination will mean the Stenographers Examination, the Stenographers' (Release EC/SSC Officers and ex-servicemen) Examination and the Stenographers' (ex-servicemen) Examination.

NOTE 2.—For the purpose of this rule a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 4.—Notwithstanding the disqualification/cancellation of candidature the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6.(A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January, 1988 *i.e.* he must have been born not earlier than 2nd January, 1963 and not later than 1st January, 1970.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including Language Stenographers)/Clerks/Steno-typists in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including Language Stenographer)/Clerk/Steno-typist on 1st January, 1988 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers on the basis of earlier examinations, held by the Union Public Service Commission in :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service Grade C, or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade C, or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers Cadre, or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Grade C.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S., Sorters employed in Subordinate Officers of P.&T Deptt. shall be treated as service rendered in the grade of clerk for purpose of Rule 6(B) above.

NOTE 2.—Service rendered by Service Clerks employed in Defence installations, shall not be counted for the purpose of Rule 6(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Ugenda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya Ugenda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian oigin from Zambia, Malawi, Zaire & Ethiopia;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bone fide* repatriate of Indian Origin-from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a cosequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bone fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1988 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1988) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in the case of ex-servicemen and commissioned officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1988 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1988) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of five years in case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January 1988 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(xvii) up to a maximum of ten years in case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January 1988 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xviii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January 1971 and 31st March, 1973.

(xx) up to a maximum of six years, if a candidate has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

(xxi) up to a maximum of eleven years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and has ordinarily resided in the State of Assam

during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

NOTE :—Ex-Servicemen who have already joined Government job on the Civil side after availing of the benefits given to them as ex-serviceman for their re-employment, are not eligible to the age concesscession under Rule 6(c) (xiv) & 6(c) (xv) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(B) above shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department either before or after taking the examination. He will however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A stenographer (including language Stenographer) Clerk/Steno-typist who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible.

7. Candidates must have passed the Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course, for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible to apply for admission to the Commission's examination.

NOTE 2.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for this Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 7 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submiting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant mater, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permiting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting, the commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses :

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf and,

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Senographers Service upto the required number and for appointment upto the number of unreserved vacancies in other Services/posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers Service and for appointment to vacancies in other Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. Subject to other provisions contained in these Rules, due consideration will be given, at he time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that he candidate having reregard to his character and antecedents is suitable in all respects for the appointment to the Service/post.

17. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to Service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

19. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

K. GOPALA RAO,
Under Secy.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English	2 hours	100
(ii) Essay	2 hours	100
(iii) General Knowledge	2 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST.

300 marks

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The papers in General English and General knowledge will consist of Objective Type questions. For details including sample questions please see Candidates Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure II).

3. The syllabus for the Written Tests and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) 'Essay' either in Hindi (Devnagari) or in English. The option will apply to complete paper and not to a part thereof.

Candidates exercising the option to answer the Essay paper in Hindi (Devnagari) may, if they so desire give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Candidates who opt to answer the aforesaid papers in Hindi (Devnagari) will be required to take the Shorthand Tests also in Hindi (Devnagari) only and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

Question papers in Essay and General Knowledge will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) Essay of the Written Test and take Shorthand Test in Hindi (Devnagari), should indicate their intention to do so in col. 8 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exrcised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper of such candidates will not be valued.

NOTE 2.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa*, after their appointment.

NOTE 3.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangement for holding such tests are available.

5. Paper (i) General English of the Written Test will be set in English only.

6. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Scheme below).

7. Candidate must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for Shorthand Test.

10. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the paper on Essay for the examination.

13. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

PART A

Standard and Syllabus of the written test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The Paper will be designed to test the candidates knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. The paper may include questions on correct use of words; easy idioms and proposition; direct and indirect speech etc.

Essay—Candidates will be required to write essay on two topics. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plan, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of everyday observation as, may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minutes for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The shorthand tests in Hindi will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination

A. *The Central Secretariat Stenographers' Service*

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present the following grades :—

Grades A' and 'B' (merged) : Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500.

Grade 'C' : Rs. 1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600.

Grade 'D' : Rs. 1200—30—1560—EB—40—2040.

The question of constituting a new Grade in the Scale of Rs. 3000—100—3500—EB—125—4500 is under consideration of the Government.

(2) Pesons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation Government may confirm the persons concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Persons recruited to Grade C of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to Grade C of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Stenographers' Servi Scheme.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers Ser vice has at present the following grades :—

Grades A' & B' (merged) : Rs. 2000—60—2300—EB—75 3200—100—3500.

Grade 'C' : Rs. 1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600.

Grade 'D' : Rs. 1200—30—1560—EB—40—2040.

(ii) Persons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(iii) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidate appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the Privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other condition of service, staff included in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers cadre*

The Stenographers cadre of the I.FS. (B) has at present the following grades :—

Selection Grade :
Grade I : } Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500.

Grade II : Rs. 1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600.

Grade III : Rs. 1200—30—1560—EB—40—2040.

2. Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or the conduct of any of them in the opinion of the Government has been unsatisfactory he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

3. The officers appointed to Grade II of the SSC of the I.F.S. (Branch B) will be governed by the I.F.S. Branch 'B' (RCSP) Rules, 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

4. The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce. They are however liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of other Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

5. During Service abroad IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad in accordance with the FS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children upto a maximum of two children between the ages of 6 and 22 studying in India or one child studying in India and one child in a country other than the country of the officer's posting abroad subject to certain conditions. If a Government servant has more than two children between ages of 6 and 22 studying in India, he shall have the option to send his wife to India during the vacation in lieu of two children visiting their parents abroad. In such a case the wife of the Government servant shall be entitled to return air passage by the cheapest class available.

(iv) An allowance for the education of children upto a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with services abroad in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time.

(vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

6. Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time will apply to members of the service subject to certain modifications. For service abroad, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

7. While in India Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

8. Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time and by orders issued thereunder.

9. Officers appointed to this service are governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service*

The AFHQ Stenographers' Service has at present the following grades :—

Grades 'A' and 'B' (merged)—(Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500).

Grade 'C'—(Rs. 1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600).

Grade 'D'—(Rs. 1200—30—1560—EB—40—2040).

2. Persons recruited direct as temporary Stenographers' Grade C (Personal Assistant) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from time to time prescribe.

3. Stenographers' Grade C recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi/New Delhi, where office of AFHQ'S organisations may be located.

4. Stenographers' Grade C will be eligible for promotion to the post of Stenographers' Grade B (Senior Personal Assistants) and Stenographers' Grade B (S.P.As) will be eligible for promotion to Stenographer Grade A (Private Secretary) in acordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th January 1988

No. F.3-3/87-Admn.—On the recommendation of tht Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following Research Officers of this Department to the posts of Senior Research Officer in the scale of Pay of Rs. 3000-100-3500-125-4500 in the following order of seniority and with effect from the forenoon of 16 December 1987 and until further orders.

(i) Shri M.P.S. Sethi.

(ii) Shri S.L. Amin

2. This issues in cancellation of this Department's earlier notification of even number dated 28 December 1987.

G. R. SUMMAN
Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1988